पत्रांक 02/प्र0 HSRP (विविध)–05/2016 5512 /परि0 पटना, दिनांक 03.11.17

माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एच0 एस0 आर0 पी0 योजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 06.10.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

माननीय मंत्री, परिवहन, प्रधान सचिव एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों, डीलरों तथा उत्सव सेफ्टी सिस्टम, प्रा0 लि0 (वेन्डर) से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या–510/2005 से उद्भूत अवमानना वाद सं0–483/2013 में दिनांक–13.07.2016 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु, एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन की बिन्दुओं पर समीक्षा किया गया तथा वर्तमान समय में आ रही कठिनाईयों एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की गयी।

अनुपालन बिन्दु :–

1. सभी सरकारी वाहनों/सरकार द्वारा उपयोग में लाए जा रहे व्यवसायिक वाहनों पर अभियान चलाकर एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को समयबद्ध कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराते हुए विभाग/कार्यालय परिसर में ही एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) निर्धारित दर पर लगाए जाने हेतु वेन्डर के माध्यम से संसूचित करते हुए कार्य किए जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – विभाग (प्रशाखा–02)/वेन्डर।

2. एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाए जाने की संख्या में वृद्धि हेतु यह निर्णय लिया गया कि जिला परिवहन कार्यालयों में पुनर्निबंधन, पुनर्अनुज्ञप्ति, पता परिवर्तन एवं वैसे सभी पुराने वाहन जिनका दुरूस्ती प्रमाण–पत्र मोटरयान निरीक्षक/फिटनेस सेन्टर के द्वारा निर्गत किया जाता है उन्में एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाए जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी फिटनेस सेन्टर/वेन्डर।

3. उपस्थित डीलरों एवं वेन्डर द्वारा डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर लगे रोक को हटाते हुए चालू किए जाने का अनुरोध किया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0 एल0 पी0 संख्या–16064/2012 दिनांक–13.12.2012 के द्वारा वाहनों में एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगे होने के पश्चात् ही डीलर प्वाइंट से वाहनों के निर्गमन की व्यवस्था की जानकारी देते हुए उक्त कार्य को किए जाने का अनुरोध किया गया। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में वैसे 13 जिले

जहाँ वाहन 4.0 चालू है, उन जिलों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कार्य यथा डीलर क्रेडेन्शियल, ऑनलाईन पेमेंट, लीज लाईन स्पीड आदि एन0 आई0 सी0 के माध्यम से एक माह में पूर्ण किए जाने हेतु कार्रवाई की जाय तथा शेष जिलों में पूर्व की भांति डीलर प्वाइंट निबंधन के कार्यों को प्रारम्भ किया जाय।

अनुपालन – प्रशाखा–02/एन0 आई0 सी0/वेन्डर/डीलर।

4. जिला परिवहन पदाधिकारी/डीलर/वेन्डर का यह दायित्व होगा कि जिन डीलर प्वाइंट से नए वाहनों का निर्गमन हो रहा है उन वाहनों पर शत–प्रतिशत एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगा होना चाहिए तथा वेन्डर का यह दायित्व होगा कि डीलरवार प्रतिवेदन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मुख्यालय को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायगा।

अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी डीलर/वेन्डर।

5. पुराने वाहनों में एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के क्रियान्वयन में गतिशीलता बने रहने एवं लक्ष्य निर्धारण हेतु यह महसूस किया गया कि वेन्डर विभागीय पदाधिकारियों के साथ एक सप्ताह के अन्दर विमर्श कर उपलब्ध मानव रांसाधन, उपलब्ध यांत्रिक संसाधन, प्रतिदिवस प्लेट निर्माण की क्षमता तथा जिलावार उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में योजना पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करेंगें।

अनुपालन – **प्रशाखा–02/वेन्डर।**

6. वेन्डर द्वारा डीलर प्वाइंट पर एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाने हेतु अन्य राज्यों की भांति सर्विस चार्ज तय करने का अनुरोध किया गया, विचारोपरान्त तय किया गया कि वाहन के डीलर संघ, वेन्डर एवं विभाग बैठक कर दर निर्धारण करेंगें, इस हेतु अन्य राज्यों में प्रचलित सर्विस चार्ज की तुलना भी की जाय।

अनुपालन – प्रशाखा–02/डीलर/वेन्डर।

7. वेन्डर द्वारा हरियाणा एवं अन्य राज्यों के आधार पर दण्ड के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस संबंध में वृहत प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1 अप्रैल, 2018 की समय–सीमा तय की गयी।

अनुपालन – सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/प्रशखा–02 ।

8. व्यवसायियों/डीलरों द्वारा पुराने पद्धति के अन्तर्गत वांछित कार्रवाई 07 (सात) कार्यदिवस में पूर्ण किए जाने के अनुरोध पर समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त विलम्ब हेतु प्रतिदिन तीन प्रतिशत की दर से दण्ड का प्रावधान अथवा ट्रेड लाईसेंस स्थगित करने की कार्रवाई की जाय। वेन्डर द्वारा एच0 एस0 आर0 पी0 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के दर का पुनर्निर्धारण के अनुरोध पर विभागीय कमिटी से एक माह के अन्दर प्रस्ताव समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – प्रशाखा–02 ।

9. माननीय मंत्री, परिवहन द्वारा बैठक की महत्ता हेतु सभी उपस्थित पदाधिकारियों को सतत् कार्य/पर्यवेक्षण किए जाने का निदेश दिया गया साथ ही वेन्डर के असफल होने पर दण्डनीय प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई के साथ–साथ काली सूची में दर्ज किए जाने का भी निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 02/प्र0 HSRP (विविध)–05/2016 5612/परि0 पटना, दिनांक 09.11.17

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटर यान निरीक्षक, बिहार एवं उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0 एफ 48, मायापुरी इन्डसट्रीयल एरिया फेज–11 नई दिल्ली एवं इनके Email:info@utsavhsrp.com पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।